



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/93/2020-909

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 28/11/2024

विषय- श्रीमती किरण सिंह द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत मखनाही ग्राम के खाता संख्या-81, 244, खेसरा संख्या-2326 (पु.), 2327 (पु.), 2394 (न्यू), 2343 (पु.), 2400 (न्यू), थाना-सदर, पोस्ट-बरियोल, SH-75 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01245 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/46397/2020/4461, दिनांक 19.01.2021

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 12.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 19.01.2021 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,94,632.00 (रु० आठ लाख चौरानवे हजार छः सौ बत्तीस) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित खाता संख्या-1506219946397617, Bihar CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-CBINH24274A12326 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.01245 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01245 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 11,924/- (ग्यारह हजार नौ सौ चौबीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित खाता संख्या-1506219946397617, Bihar CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-CBINH24274A12326 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.09.2024 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance	प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 12.11.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा से निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

साथ ही प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 12.11.2024 द्वारा पथ निर्माण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01245 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशांसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/93/2020- 909

दिनांक- 28/11/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा एवं श्रीमती किरण सिंह, पति-श्री पंकज कुमार सिंह, ग्राम-मखनाही, पोस्ट-बरियोल, थाना-सदर, जिला-दरभंगा-846005 को सूचना हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Darbhanga/ Mithila Forest Division, Darbhanga.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Smt. Kiran Singh/ BPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.01245 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	19.01.2021				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	8,94,632.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	11,924.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	CBINH24274A12326	11,924/-	NPV
		2		dt. 30.09.2024	8,94,632/-	CA
		Total-			9,06,556/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 30.09.2024				
12	Any other remarks					


 (Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 12/11/2024 .

विषय—

श्रीमती किरण सिंह द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत मखनाही ग्राम के खाता संख्या-81, 244, खेसरा संख्या-2326 (पु.), 2327 (पु.), 2394 (न्यू), 2343 (पु.), 2400 (न्यू), थाना—सदर, पोस्ट—बरियोल, SH-75 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01245 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—

आपका पत्रांक 598, दिनांक 27.08.2024,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/46397/2020/4461, दिनांक 19.01.2021 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-09 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,94,632.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219946397617, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH24274A12326 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.01245 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 11,924/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219946397617, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- CBINH24274A12326 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 30.09.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

34

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगी।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

साथ ही पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन,

किरण सिंह
(किरण सिंह)

पति—श्री पंकज कुमार सिंह,
ग्राम—मखनाही, पोस्ट—बरियोल,
थाना—सदर, जिला—दरभंगा—846005

Customer Acknowledgment

Received application for RTGS ☒ / NEFT ☐ for an account of Rs. 206556/- vide cash /
Cheque number 009374 to be credited to Account Number 1506219946397617
of विमल देव Bank with IFSC Code VBIN092635. Customers will be guided by the terms &
conditions mentioned in the from UBG Bank will accept no liability for any consequence arising out of amount details
provided by the Customer. UTR No. COIN424274A12326

Date 30/09/24 Time 11:01 am

Branch Stamp & Signature



कार्यालय, जिला पदाधिकारी, दरभंगा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा-निर्देश के तहत)

संख्या...165972... दिनांक 17.10.2024

प्रमाणित किया जाता है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मखनाही के खाला संख्या 81, 244
खेसरा संख्या - 2326, 2327, 2343 (पु0), 2394, 2400 (न्यू0), थाना - सदर दरभंगा में एस0एच0-75 एच0
के किनारे बी0पी0सी0एल0 का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु
सुरक्षित वन भूमि के 0.01245 हे0 रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयाक्ता एजेंसी के
आवेदन पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमण्डल, दरभंगा के पत्रांक 1889 दिनांक 22.
09.2020 द्वारा FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक
विकास परियोजना (कड़िका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित
वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित
किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

Signed by

Rajiv Raushan

Date: 17-10-2024 18:30:53

जिला पदाधिकारी
दरभंगा

स्थान:- दरभंगा
तिथि:- 17.10.2024

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which
was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of
December, 2005 and is located in villages having no recorded population
of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Place:-

Dated:-

District Magistrate

Darbhanga

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दरभंगा।**

पत्रांक : _____ / दरभंगा, दिनांक : _____

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमण्डल, दरभंगा।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य प्रशाखा, दरभंगा।

विषय :-

पथ प्रमण्डल, दरभंगा अन्तर्गत मौजा-मखनाई, थाना-दरभंगा, अंचल-सदर, जिला-दरभंगा, खाता नं०-81 (नया), 244, 81 (पुराना), खेसरा नं०-2394 (नया), 2543, 2326, 2327 (पुराना) थाना नं०-313 के अन्तर्गत BPCL मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

- (i) आपका पत्रांक-428/सा० दिनांक-05.03.2020
- (ii) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-प्र०-23/उ०बि०(या०) (आउटलेट)-30-24/2021-983 (अनु०) दिनांक-26.06.2024
- (iii) अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दरभंगा का पत्रांक-1265 (अनु०) दिनांक-09.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उक्त विभागीय पत्र द्वारा पथ प्रमण्डल, दरभंगा अन्तर्गत दरभंगा-कमतौल-बसैंठा-मधवापुर (SH-75) पथ के मौजा-मखनाही, थाना-दरभंगा, अंचल-सदर, खाता नं०-81 (नया), 244, 81 (पुराना) खेसरा नं०-2394 (नया), 2343, 2326, 2327 (पुराना) थाना नं०-313 में BPCL का प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ दी गयी है :-

- I. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-80 (ई०) दिनांक-04.01.2024 एवं संकल्प सं०-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 के आलोक में औपबंधिक रूप से प्रदान की गयी है।
- II. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की प्रति मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।
- III. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- IV. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अनापत्ति की तिथि से प्रत्येक 05 (पाँच) वर्ष के अंतराल पर पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित नवीकरण शुल्क 10,000.00 जमा कराते हुए नवीकरण कराना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा अन्यथा विलम्ब की स्थिति में प्रतिमाह 5,000.00 विलम्ब शुल्क के साथ नवीकरण कराया जा सकेगा।

- V. MORTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा-निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित करना होगा। Road Safety Measures का अनुपालन भी दृढ़ता से सुनिश्चित करना होगा।
- VI. प्रस्ताव के साथ समर्पित चेक लिस्ट के आधार पर औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत की जा रही है यदि इसमें अंकित सूचना में कोई त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो इसे स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०:-

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

पत्रांक : 1413 / दरभंगा, दिनांक : 25/07/2024

प्रतिलिपि :- Kiran Singh W/o-Pankaj Kumar Singh, Village-Makhnahi, P.O.-Bariyoul Sadar,
Dist-Darbhanga, Bihar को सूचनार्थ प्रेषित।

Q
25/07/24
कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।
25/7/24